यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** के माह 04/2017 से माह 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.05.2018 से 07.06.2018 तक श्री हिमांशु मणि, ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव , एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.08.2017 से 25.08.2017 तक श्री के.एल.भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में निर्धारित क्षेत्र

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	6948.27
2016-17	2192.73
2017-18	3336.41

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**स्थापना (` लाख में)**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	1056.39	1056.39	471.46	471.46	-	-
2016-17	1089.45	1089.45	731.70	731.70	-	-
2017-18	1268.95	1268.95	322.95	322.95	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	0	253600	253600	0
	प्रोजेक्ट ऐलीफैन्ट	0	341000	341000	0
2016-17	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	0	618000	618000	0
	प्रोजेक्ट ऐलीफैन्ट	0	833000	833000	0
2017-18	इन्टैन्सिफिकेशन ऑफ फौरेस्ट मैनेजमेंट	0	182000	182000	0
	प्रोजेक्ट ऐलीफैन्ट	0	720000	720000	0

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 09/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ब

प्रस्तर-1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹ 32.82 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो। उत्तराखंड शासन के पत्रांक:245/xxvii(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को रू 5.00 लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ` 10.00 लाख की सीमा तक वन संरक्षक को अधिकार प्रदत्त है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रबाग द्वारा ` 3282540 की लागत के 06 वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि बजट की प्रत्याशा में कार्य कराया गया था। कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गयी है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कर दी जाएगी।

अत: सक्षम प्राधिकारी द्वारा ` 3282540 की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-31 वर्ष 2018-19

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनराशि
1.	भाखड़ा राजि के अंतर्गत पीपल पड़ाव ब्लॉक प्लाट स. 136 क्षे. 26.40 हैकटैर क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में वर्षकालीन भूमि वृक्षारोपण कार्य	573200
2.	टांडा राजि के अंतर्गत घिमरी ब्लॉक प्लाट स. 31 ब क्षे 34.50 हैकटैर क्षे में वर्ष 2016-17 में किए गए शीतकालीन पोपुलर वृक्षारोपण कार्य	520745
3.	टांडा राजि के अंतर्गत टांडा ब्लॉक प्लाट स. 168 क्षे 20 हैकटैर क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में वर्षकालीन क्लोनल की वित्तीय स्वीकृति	513225
4.	टांडा राजि के अंतर्गत टांडा पौधलाय में पोपलर की 100000 पौध उगान कार्य	570062
5.	बरहनी राजि के अंतर्गत बरहनी ब्लाक प्लाट स. 6 में 10.62 हैकटैर में वर्ष 2017-18 में वर्षाकालीन यूकेलिपटस में वृक्षारोपण कार्य हेतु मृदा कार्य की वित्तीय स्वीकृति	547377
6.	बरहनी राजि के अंतर्गत बरहनी ब्लाक प्लाट स.32 अ में 11.00 हैकटैर में वर्ष 2017-18 में वर्षाकालीन यूकेलिपटस में वृक्षारोपण मृदा कार्य	557931
	योग	3282540

भाग-02 ब

प्रस्तर- 2 वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षति पूर्ति के रूप में ₹ 21.08 लाख की अनुग्रह राशि का भुगतान न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षति पूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी। नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी के मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि से सम्बंधित अभिलेखो की वर्ष 2018 की जांच में पाया गया कि प्रभाग के अंतर्गत मानव मृत्यु के 01 प्रकरण में ₹ 3.00 लाख, मानव क्षति के 03 प्रकरण में ₹0.45 लाख, पशु क्षति के 91 प्रकरण में ₹ 13.27 लाख, कृषि फसल के 41 प्रकरणो में `4.21 लाख, मानव क्षति के 01 प्रकरण में `0.15 लाख का भुगतान कुल `21.08 लाख का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जो की प्रभाग द्वारा नहीं किया गया।

जबकि प्रभाग के पास अप्रैल 2018 के अन्त में बैंक पास बुक के अनुसार ₹18,75,000 अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है। अतः भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र कर के लेखपरीक्षा को सूचित किया जाना अपेक्षित रहेगा ताकि नियमवाली का मूल उद्देश्य पूरा हो सके।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय ₹27979

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंड के पत्र संख्या 272/07-01 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

जिसके अनुसार प्रभाग में वर्ष 2016-17 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत न होने के कारण ₹ 27979 का निष्फल व्यय हुआ।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण का नाम	योजना का नाम	क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)	रोपण वर्ष	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवित पौध	निष्फल व्यय(कम जीवित पौध *10.09)(रूपये में)
1	पीपलपड़ाव	द. गदगदिया	बहुउद्देशीय वृक्षा एव वनो का संरक्षण	18.76	2016-17	46900	43307	92.33% / 95%	1248	12592
2	भाकड़ा	लामाचौड 36	बहुउद्देशिए वृक्षा एव वनो का संरक्षण	49	2016-17	49060	45082	91.89% / 95%	1525	15387
									योग	**` 27979**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया की अनुरक्षण की धनराशि कम प्राप्त होने के कारण सफलता प्रतिशत कम है जिसे प्राप्त करने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय ₹ 27,979 का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-02 कर्मचारियों द्वारा जमानत धनराशि जमा न कराया जाना ₹ 81500/-

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	वन दरोगा	10000	0	10000
	श्री रमेश चन्द्र लोहनी	वन दरोगा	10000	0	10000
	श्रीमोहन राम आर्या	वन दरोगा	10000	0	10000
	श्रीमाधव राम	वन दरोगा	10000	0	10000
	श्री उमेद सिंह कोश्यारी	वन दरोगा	10000	8000	2000
	श्रीहेम चन्द्र	वन आरक्षी	5000	1000	4000
	श्रीमदन सिंह बिष्ट	वनदरोगा	10000	5000	5000
	श्रीअंकित सिंह	वनदरोगा	5000	0	5000
	श्रीकमल सिंह	वन आरक्षी	5000	4000	1000
	श्रीआनन्द बल्लभ पंत	वन आरक्षी	5000	4000	1000
1.	श्रीमोहन चन्द्र पंत	वन दरोगा	10000	5000	5000

2.	श्री लक्ष्मी दत्त जोशी	वन आरक्षी	5000	0	5000
3.	श्रीमति लीला मठपाल	वन दरोगा	10000	5000	5000
4.	श्री तारा दत्त सेमवाल	वन दरोगा	10000	5000	5000
5.	श्रीमति गीता कालाकोटी	वन आरक्षी	5000	4000	1000
6.	श्रीमति सुनीता वर्मा	प्रधान सहायक	2000	1500	500
7.	मो. आसिफ	माली	500	0	500
8.	श्री कमल कुमार आर्या	माली	500	0	500
9.	श्री रामेश्वर	माली	500	0	500
10.	श्री हर सिंह खाती	माली	500	0	500
योग					**₹81500**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया की जमानत जमा की धनराशि जमा यथाशीघ्र कराने की कार्यवाही गतिमान है।

अतः विभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/FR-57/2017-18	01	01,02	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/FR-57/2017-18	02,03	03	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमति कल्याणी	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री चन्द्र शेखर सनवाल	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्दवानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र